



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665]  
No. 665]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2009/कार्तिक 27, 1931  
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2009/KARTIKA 27, 1931

वित्त मंत्रालय

(आधिकार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 831(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्थिक सेवा (चौथा संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 में,—

(1) अनुसूची 1 में, उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी से संबंधित स्तंभ (2) में, "वेतन समूह-4 : 37,400-67,000 रु. धन श्रेणी वेतन 12,000 रुपए" के स्थान पर, "67,000 रु. (वार्षिक वृद्धि @ 3%) 79,000 रु." अक्षर, अंक कोष्ठक, शब्द और प्रतीक रखे जाएंगे।"

(2) अनुसूची 2 में,—

(i) स्तंभ (4) के शीर्षक के अधीन, "वेतन समूह-4, 37,400-67,000 रु. धन श्रेणी वेतन; 12000 रु." के स्थान पर "67000 रु. (वार्षिक वृद्धि @ 3%)-79000 रु." अक्षर, अंक कोष्ठक, शब्द और प्रतीक रखे जाएंगे ;

(ii) वित्त मंत्रालय से संबंधित क्रम सं. 1 में मद (क) के सामने स्तंभ (5) के अधीन "3" अंक के स्थान पर "4" अंक रखा जाएगा।

(iii) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित क्रम सं. 16 में, स्तंभ (5) के अधीन मद (क) के सामने "1" अंक का लोप किया जाएगा।

(3) अनुसूची 4 में उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी से संबंधित स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 2 के सामने "वेतन समूह 4; 37,400-67000 रु. धन श्रेणी वेतन; 12,000 रु." शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "67000 रु. (वार्षिक वृद्धि @ 3%)-79000 रु." अक्षर, अंक कोष्ठक शब्द और प्रतीक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 11011/1/2003-आईईएस]

राजन कुमार, सलाहकार

टिप्पणी :—भारतीय आर्थिक सेवा, नियम, 2008 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 435(अ), तारीख 6 जून, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्वी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 648(अ) तारीख 10 सितम्बर, 2008, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 753(अ) तारीख 24 अक्टूबर, 2008, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 350(अ) तारीख 22 मई, 2009, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 376 (अ) तारीख 1 जून, 2009 और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 377(अ) तारीख 1 जून, 2009 द्वारा पश्चात्पूर्वी संशोधन किए गए।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th November, 2009

**G.S.R. 831(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 2008, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Economic Service (Fourth Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Economic Service Rules, 2008 —

(1) In Schedule I, against Sl. No. 2, under column (2), relating to the Higher Administrative Grade, for the words, figures and letters “Pay Band-4 : Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay : Rs. 12,000”, the letters, figures, brackets, words and symbols “Rs. 67000 (annual increment @ 3%)- Rs. 79,000” shall be substituted.

(2) In Schedule II,—

(i) under the heading in column (4), for the words, figures and letters “Pay Band-4: Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay: Rs. 12,000”, the letters, figures, brackets, words and symbols “Rs. 67000- (annual increment @ 3%)- Rs. 79,000” shall be substituted ;

(ii) in Sl. No. 1 relating to Ministry of Finance, against item (a), under column (5), for the figure “3”, the figure “4” shall be substituted;

(iii) in Sl. No. 16 relating to Ministry of Communications and Information Technology, against item (a), under column (5), the figure “1” shall be omitted.

(3) in Schedule IV, against Sl. No. 2, under column (2), relating to the Higher Administrative Grade, for the words, figures and letters “Pay Band-4 : Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay : Rs. 12,000”, the letters, figures, brackets, words and symbols “Rs. 67,000-(annual increment @ 3%)-Rs. 79,000” shall be substituted.

[F.No. 11011/1/2003-IES]

RAJAN KUMAR, Adviser

**Note :—**The Indian Economic Service Rules, 2008 were published in the Gazette of India, *vide*, notification number G.S.R. 435(E), dated the 6th June, 2008 and subsequently amended, *vide*, notification number G.S.R. 648 (E), dated the 10th September, 2008, notification number G.S.R. 753 (E), dated the 24th October, 2008, notification number G.S.R. 350(E), dated the 22nd May, 2009, notification number G.S.R. 376(E), dated the 1st June, 2009 and notification number G.S.R. 377 (E), dated the 1st June, 2009.